**मध्यप्रदेश शासन**

**वित्त विभाग**

**मंत्रालय, भोपाल**

**<u>आदेश</u>**

**दिनांक** 01/02/2021

**क्रमांक/28972020/ई/चार**, भारत सरकार, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.08.2005 को जारी दिशा-निर्देश अनुसार वाईबिलिटी गेप फंडिंग योजनान्तर्गत परियोजना निर्माण अवधि में परियोजना लागत का अधिकतम 40% वित्तीय सहायता (VGF) के रूप में स्वीकृतत की जा सकती है, जिसमें 20% राज्य शासन द्वारा राज्यांश पूंजीगत अनुदान के रूप में प्राप्त होने का प्रावधान है। उक्त के परिपालन में राज्य शासन द्वारा राज्य में VGF योजना क्रियान्वयन करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-1/42/04-पी.एम.यू/1121 दिनांक 31.05.2006 (परिपत्र क्रमांक-1) एवं परिपत्र क्रमांक एफ-1/42/04-पी.एम.यू/2097 दिनांक (परिपत्र क्रमांक-16) के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किए गए थे।

2. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीयपत्र दिनांक 13/11/2020 द्वारा उक्त योजना को यथावत रखते हुए सामाजिक अधोसंरचना क्षेत्रकेलिए दो उप-योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं, जो निम्नानुसार है:-

| पैरामीटर | उप-योजना-1 | उप-योजना-2 |
|---|---|---|
| क्षेत्र | वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट, जल प्रदा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेक्टर आदि | केवल स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र के पायलेट प्रोजेक्टस् के लिए |
| पात्रता | ऐसी परियोजनाओं में 100% परिचालन लागत की वसूली होना चाहिये । | ऐसी परियोजनाओं में न्यूनतम 50% परिचालन लागत की वसूली होना चाहिये । |

| | | |
|---|---|---|
| CAPEX के लिये VGF सहायता | कुल परियोजना लागत का 60% =30% भारत सरकार (अधिकतम) =30% राज्य सरकार (अधिकतम) | कुल परियोजना लागत का 80% =40% भारत सरकार (अधिकतम)=40% राज्य सरकार (अधिकतम) |
| अतिरिक्त सहायता | -- | वाणिज्यिक परिचालन तिथि (COD) से प्रथम वर्षो के लिए 5 50% (अधिकतम) भारत सरकार 25% तक<br>राज्य सरकार 25% तक परिचालन एवं संधारण लागत (O&M) अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराएगी। |

3/ राज्य शासन, एतद् द्वारा सामाजिक अधोसंरचना क्षेत्र के अंतर्गत कंडिका 2 में उल्लेखित जन निजी भागीदारी अन्तर्गत उपयोजनाओं के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुक्रम में वाईबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना को प्रदेश में लागू करती है।

4/ वाईबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) के लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान संबंधित विभाग अपने विभागीय बजट में किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

5/ यह स्वीकृति मंत्रि-परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 2 दिनांक 02 फरवरी, 2021 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

26/2/2021

(मनोज कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

क्रमांक/28972020/ई/चार, भोपाल, दिनांक 01/03/2021

प्रतिलिपि:-

1. राजयपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
5. सचिव लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश, इंदौर,
6. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल ,
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/ मध्यप्रदेश शासन, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल,
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल,
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
11. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, म.प्र. जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) /ऑडिट 1/2, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल,
13. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल,
14. समस्त प्रबंध संचालक, म.प्र. शासन के सार्वजनिक उपक्रम/मण्डल,
15. मुख्य सचिव के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय भोपाल,
16. समस्त आयुक्त, नगर निगम/नगर पालिका म.प्र.,
17. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास प्राधिकरण म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग